न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या :– 26/2025

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

1. रूपी पुत्री स्व. केवलराम एवं पत्नी श्री धन्नाराम निवासी पटेलों का बास नारनाडी तहसील झंवर जिला जोधपुर।

1. पदमाराम पुत्र स्व. केवलराम, निवासी ग्राम डोली तहसील झंवर जिला जोधपुर
2. तहसीलदार झंवर
3. सरपंच ग्राम पंचायत डोली तहसील झंवर जिला जोधपुर।

प्रफॉर्मा रेस्पोन्डेन्ट

4. अचलाराम पुत्र पदमाराम, निवासी ग्राम डोली तहसील झंवर जिला जोधपुर।

— — —

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत डोली, नामान्तरकरण संख्या 558 दिनांक 15.05.1993

उपस्थिति : –

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद सिंह।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता उर्जाराम पटेल।

दिनांक :– 08-9-2025

– :: निर्णय :: –

अपीलान्ट द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 15.05.1993 की पेश कर कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम डोली तहसील झंवर जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 66 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा खसरा संख्या 292/3 रकया 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 349/2 रकबा 15 बिस्वा कुल चार खसरान कुल रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 800/66 रकबा 1.6997, खसरा नम्बर 292/1 रकबा 0.8741, खसरा नम्बर 354 रकबा 1.9425, खसरा संख्या 919/349 रकबा 0.1214 है। उपरोक्त अपीलाधीन भूमि अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता केवलराम की खातेदारी भूमि थी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता श्री केवलराम के देहांत के पश्चात् केवलराम के वारिसान उतराधिकारी बने व अपीलाधीन आराजी पर काबिज है परन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने हल्का पटवारी से व राजस्व अधिकारीयों से मिली भगत कर केवलराम के देहांत के पश्चात् राजस्व रेकार्ड में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट की माता श्रीमती गंगा के नाम इन्द्राज करवा दिया। उक्त नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व माता श्रीमति गंगा के नाम इन्द्राज करवाए जाने के पश्चात् अपीलांट व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की माता श्रीमति गंगा का देहांत भी हो गया। परंतु अपीलांट का नाम उक्त पैतृक कृषि भूमि में दर्ज नही कर सिर्फ रेस्पोडेन्टस का नाम दर्ज किया गया जबकि अपीलान्ट केवलराम की विधिक जायन्दा वारिसान है। जिसकी जानकारी अपीलांट को नकल लेने पर दिनांक 25.04.2025 को सर्वप्रथम हुई व अपीलांट उक्त नामान्तकरण आदेश से क्षुब्ध होकर अपील पेश की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का भी पेश कर अपील पेश करने हुई देरी को क्षमा कर अपील म्याद अन्दर शुमार किये जाने का निवेदन किया है।

अपीलांट द्वारा पेश धारा 5 म्याद प्रार्थना में म्याद बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटीस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता उर्जाराम पटेल द्वारा वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष रेस्पोडेन्ट्स के नोटीस नियमानुसार तामिल होकर शामिल पत्रावली किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 4 जरिये अधिवक्ता द्वारा अपील में प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तकरण संख्या 558 ग्राम पंचायत डोली को खारिज कर तहसीलदार झंवर द्वारा विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना बताया एवं अपील अपीलान्ट की स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 15.05.1993 को निरस्त कर विधिक वारिसान की सही जांच कर नये सिरे से म्यूटेशन स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है जबकि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 4 के अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण को खारिज कर विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु सहमति जताई एवं अपील अपीलान्ट की स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। चुंकि प्रत्येक अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने से पहले अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के संबंध में पेश धारा 5 म्याद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का पेश किया परन्तु अपील पेश करने हेतु हुई देरी के लिए कोई न्यायोचित एवं स्पष्ट कारणों से अवगत नहीं करवाया है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा नामान्तकरण संख्या 558 के विरूद्ध अपील निर्धारित समय सीमा के बाद पेश की गई। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा पेश अपील को म्याद बाहर मानते हुए धारा 5 म्याद अधिनियम को खारिज किया जाता है। उपरोक्त आधार पर अपीलान्ट की नामान्तकरण अपील को अन्दर म्याद नहीं माना जा सकता एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 15.05.1993 को निरस्त किया जाना कानुनन उचित नहीं है। अपीलान्ट की अपील न्यायहित में खारीज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट द्वारा पेश नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 08-9-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज कोसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी